रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933
No. 5] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

IndiaCode

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

का.नि.आ. 6(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 23 के साथ पठित धारा 346 की अपेक्षानुसार छावनी नियम, 2010 (उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों को भत्तों का भुगतान) नियम, 2010 को भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के का.नि.आ. सं. 09(अ), तारीख 22 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस संबंध में इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं ।

और उपर्युक्त राजपत्र की प्रतियां 13 अगस्त, 2010 को छावनी बोर्डों द्वारा जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं ;

और उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है;

अतः, अब, उपर्युक्त अधिनियम (2006 का 41) की धारा 23 के साथ पठित धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों के भत्तों का भुगतान) नियम, 2011

1. **संक्षिप्त नाम :** इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों को भत्तों का भुगतान) नियम, 2011 है ।

2. **परिभाषा :** इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) (क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम के अधीन गठित छावनी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य" से बोर्ड का निर्वाचित सदस्य अभिप्रेत है ;

(घ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ है जो उस अधिनियम में है ।

3. **उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय मानदेय, वाहन भत्ता तथा टेलीफोन भत्ता का भुगतान**

(1) उपाध्यक्ष और सदस्य नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर निम्नलिखित भत्ते पाने के हकदार होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	छावनी का प्रवर्ग	उपाध्यक्ष को संदेय मानदेय (प्रति मास)	निर्वाचित सदस्यों को संदेय मानदेय (प्रति मास)	उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को संदेय वाहन भत्ता (प्रति मास)	उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को संदेय टेलीफोन भत्ता (प्रति मास)
1	2	3	4	5	6
1.	प्रवर्ग 1	5000 रु. (केवल पाँच हजार रुपये)	4000 रु. (केवल चार हजार रुपये)	1000 रु. (केवल एक हजार रुपये)	250 रु. (केवल दो सौ पचास रुपये)
2.	प्रवर्ग 2	4000 रु. (केवल चार हजार रुपये)	3000 रु. (केवल तीन हजार रुपये)	800 रु. (केवल आठ सौ रुपये)	250 रु. (केवल दो सौ पचास रुपये)
3.	प्रवर्ग 3	3000 रु. (केवल तीन हजार रुपये)	2000 रु. (केवल दो हजार रुपये)	600 रु. (केवल छः सौ रुपये)	250 रु. (केवल दो सौ पचास रुपये)
4.	प्रवर्ग 4	2000 रु. (केवल दो हजार रुपये)	1000 रु. (केवल एक हजार रुपये)	400 रु. (केवल चार सौ रुपये)	250 रु. (केवल दो सौ पचास रुपये)

(2) उप-नियम (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपाध्यक्ष तथा सदस्य को तब तक कोई वाहन भत्ता संदेय नहीं होगा जब तक वह किसी मास में कम से कम एक बार बोर्ड या समिति की बैठक, जिससे यह भुगतान संबंधित है, में उपस्थित नहीं होता ।

(3) जहां कहीं भी उपाध्यक्ष को बोर्ड द्वारा यान उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसे यान के ईंधन की लागत उक्त मास उपाध्यक्ष को दिए जाने वाले वाहन भत्ते में से काट ली जाएगी : परंतु ईंधन की कुल लागत उक्त मास में उपाध्यक्ष को संदत किए जाने वाले वाहन भत्ते से अधिक नहीं होगी ।

4. सदस्य को यात्रा भत्ता

(1) किसी सदस्य को यात्रा भत्ते का संदाय सदस्य के रूप में या बोर्ड की समिति के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के अनुसरण में छावनी से बाहर यात्रा करने के मद्दे किया जाएगा;

परन्तु—

(क) की गयी यात्रा बोर्ड के संकल्प में मंजूरी प्रदान की गयी हो;

(ख) कमान के भीतर यात्रा किए जाने की दशा में, संकल्प की पुष्टि कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा हो;

(ग) कमान के बाहर यात्रा करने की दशा में, संकल्प की पुष्टि महानिदेशक, रक्षा संपदा द्वारा हो; या

(घ) भारत से बाहर यात्रा करने की दशा में, बोर्ड के संकल्प की पुष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा हो ।

(2) किसी सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय या यात्रा भत्ते की राशि से अधिक नहीं होगा जो वर्तमान में लागू किसी नियम के अधीन उसी यात्रा के लिए छावनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिया जाता है ।

[फा. सं. 14(6)/2009/डी (क्यू एण्ड सी)]

अशोक कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2011

S.R.O. 6(E).—Whereas, draft Cantonment (Payment of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2010 were published, as required by Section 346 read with Section 23 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) in Part II Section 4 of the Gazette of India, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Defence, No. S.R.O. 09(E), dated the 22nd July, 2010, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected

thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the said Gazette notification are made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 13th August, 2010 by the Cantonment Boards;

And, whereas, all the objections and suggestions received before the date so specified have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 346 read with Section 23 of the said Act, (41 of 2006) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Cantonments (Payment of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011

1. **Short title** .—These rules may be called the Cantonments (Payment of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011.

2. **Definition** .—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) "Board" means Cantonment Board constituted under the Act;

(c) "Member" means the member elected to the Board;

(d) "Vice-President" means the Vice-President of the Board.

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Honorarium, conveyance allowance and the telephone allowance payable to the Vice-President and Members.**—

(1) The Vice-President and the Members shall be entitled to receive the following allowances at the rate specified in the Table below, namely :—

TABLE

Serial number	Category of Cantonment	Honorarium payable (per mensum) to Vice-President	Honorarium payable (per mensum) to Elected Members	Conveyance allowance payable to Vice-President and each member (per mensum)	Telephone allowance payable to Vice-President and each member (per mensum)
1	2	3	4	5	6
1.	Category 1	Rs. 5000 (Rupees five thousand only)	Rs. 4000 (Rupees four thousand only)	Rs. 1000 (Rupees one thousand only)	Rs. 250 (Rupees two hundred fifty only)
2.	Category 2	Rs. 4000 (Rupees four thousand only)	Rs. 3000 (Rupees three thousand only)	Rs. 800 (Rupees eight hundred only)	Rs. 250 (Rupees two hundred fifty only)
3.	Category 3	Rs. 3000 (Rupees three thousand only)	Rs. 2000 (Rupees two thousand only)	Rs. 600 (Rupees six hundred only)	Rs. 250 (Rupees two hundred fifty only)
4.	Category 4	Rs. 2000 (Rupees two thousand only)	Rs. 1000 (Rupees one thousand only)	Rs. 400 (Rupees four hundred only)	Rs. 250 (Rupees two hundred fifty only)

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), no conveyance allowance shall be payable to the Vice-President and a Member unless he attends the meeting of the Board or Committee at least once in a month to which the payment relates.

(3) Wherever a vehicle is provided by the Board to the Vice-President, the cost of fuel of such vehicle shall be deducted from the conveyance allowance to be paid to the Vice-President for that month :

IndiaCode

Provided that the total cost of the fuel shall not exceed the conveyance allowance to be paid to the Vice-President for that month.

4. **Travelling allowances to a member.**—

(1) The travelling allowance may be paid to a member on account of journey undertaken outside the cantonment, in pursuance of his duties as such member, or as a member of a committee of the Board :

Provided that—

(a) the undertaking of the journey has been sanctioned by a resolution of the Board;

(b) in the case of a journey within the command, the resolution has been confirmed by the General Officer Commanding-in-Chief, the Command;

(c) in the case of a journey outside the command, the resolution has been confirmed by the Director-General, Defence Estates, or

(d) in the case of a journey outside India, the resolution of the Board has been confirmed by the Central Government.

(2) The travelling allowance of a member shall not exceed the actual expenditure incurred by him on the journey or the amount of the travelling allowance which shall be admissible in respect of the same journey to the Chief Executive Officer of the Cantonment under any rules for the time being in force, whichever is less.

[F. No. 14(6)/2009/D (Q & C)]

ASHOK KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.